

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उमय पक्ष उपस्थित प तरीन जी जरी राजकीय
कार्य से बाहर आ अवकाश पर ह उपस्थित है।

अतः पत्रावली दि. तारीख १४-२-२० पेश हो।

एव की अधिष्ठाता पत्रावली-१

पेश

उपस्थित अधिकारी माण्डल

२/१५ पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित।

वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं मिली तो उसे अपूरणीय धारित होगी।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से व प्रार्थी की अधिवक्ता की बहस पर ध्यान दिया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत जूल वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर जूल वाद पत्र के साथ सलग्न है।

Ray
सहायक कलक्टर
माण्डल जिला भीलवाड़ा

